

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
पीठासीन अधिकारी :- श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :- 05 / 2025 GCMS No. 2025/17

परिवादी :-

1. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर (राज.)

बनाम

अभियुक्त :-

1. श्री कमल किशोर अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता फर्म -मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी कुचामनसिटी निवासी- 58, तनाजी मार्ग, ब्रह्मपुरी, जयपुर।

“ परिवाद अन्तर्गत धारा 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ”


उपस्थिति :- ।

:-निर्णय :-

दिनांक :- 19/11/2025


संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.07.2024 को समय 11.00A.M. पर फर्म मैसर्स- मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी कुचामनसिटी पर पहुंचा। वहां पर श्री कमल किशोर अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल मिले। श्री कमल किशोर अग्रवाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री कमल किशोर मालिक ने स्वयं को मैसर्स- मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी कुचामनसिटी का खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य अनुज्ञा-पत्र, स्वयं के आधार कार्ड की स्वःहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध COW GHEE(Gopi Shree) के 1-1 लीटर के लगभग 10 सिल्ड पैक प्लास्टिक जार रखे हैं, के अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर 1-1 लीटर के 4 सिल्ड पैक प्लास्टिक जार COW GHEE(Gopi Shree) खाद्यकारोबारकर्ता श्री कमल किशोर अग्रवाल को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जाँच खरीदा। जिसकी कीमत श्री कमल किशोर को 1520/-रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियाँ तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर श्री कमल किशोर एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता मालिक श्री कमल किशोर को




अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खCOW GHEE(Gopi Shree) 1-1 लीटर के सिल्ड गत्ता पैक पैकेटो पर लेवल तैयार कर चिपकाये और लेवलो पर डी.ओ. नागौर के कोड एवं क्रमांक Q-3084 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.नागौर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. Q-3084 नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियाँ एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के क्रमांक/ एफएसएसए/जारि/2024/580 दिनांक 21.08.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./887/Act/2024/934 दिनांक 14.08.2024 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ COW GHEE(Gopi Shree) का नमूना Substandard होना पाया गया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। उक्त प्रकरण में श्री कमल किशोर ने खाद्य पदार्थ GHEE(Gopi Shree) Substandard का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा Substandard as is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat (the fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of cow ghee). The sample also contravens Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations 2011 due to presence of foreign fat, धारा 26(2)(ii)(V) के अन्तर्गत किये गये अपराध के लिए संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में अभियोजन संस्थित करने की करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके लिये जुर्माने का प्रावधान धारा 51 व 58 के अन्तर्गत निहित है।

उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की फार्म नं. 6 की पुस्त


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

पर मुख्य खाद्य विश्लेषक की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी की नमूना प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त विश्लेषक सूचना पत्र मूल, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा-पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, अभियोजन संस्थित किये जाने के पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनोंक 21.03.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त श्री कमल किशोर अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता एवं मासिक को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अभियुक्त का अनुपस्थित रहना इस बात की ताईद करता है कि उक्त फर्म मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी, कुचामनसिटी कमल किशोर अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता द्वारा GHEE(Gopi Shree) का विक्रय किया गया, वह जो खाद्य नमूना खाद्य घटिया, क्योंकि यह केवल दूध या दूध से प्राप्त उत्पादो से प्राप्त नहीं होता क्योंकि इसमें बाहरी वसा होती है (नमूने का फैटी एसिड प्रोफाईल गाय के घी के फैटी एसिड प्रोफाईल से मेल नहीं खाता) यह नमूना बाहरी वसा की उपस्थिति के कारण खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम संख्या 2.3.7.(2) का भी उल्लंघन करता है। जिसकी पुष्टि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट से साबित होती है।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के FORM- VII A रिपोर्ट नं.L.S./887/Act/2024/934 दिनांक 14.08.2024 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट अजमेर का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:-

Opinion- The sample of GHEE bearing Code No. and Sr. No. Q-3084 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, nagaur is Substandard as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat (the fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee). The sample also contravenes Regulation No. 2.3.7.(2) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations 2011 due to presence of foreign fat.

अतः खाद्यकारोबारकर्ता श्री कमल किशोर अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी, कुचामनसिटी से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ GHEE(Gopi Shree) नमूना नं. Q-3084 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कोड Q-3084 वाले GHEE(Gopi Shree) के नमूने में जो खाद्य नमूना खाद्य सुरक्षा मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम संख्या 2.3.7.(2) का उल्लंघन करता है। F.S.S.A. 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

व्योकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानको एवं प्रावधानो के अनुरूप नहीं है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं


अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(अ) एवं 58 इस प्रकार है:-

धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का :-(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा-58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार **GHEE(Gopi Shree)** में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु श्री कमल किशोर अग्रवाल कुचामनसिटी मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी, कुचामनसिटी निवासी 58, तनाजी मार्ग ब्रह्मपुरा जयपुर दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 58 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 के तहत अभियुक्त श्री श्री कमल किशोर अग्रवाल पुत्र जगदीश प्रसाद अग्रवाल खाद्यकारोबारकर्ता कुचामनसिटी मैसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, पुरानी धान मण्डी, कुचामनसिटी निवासी 58, तनाजी मार्ग ब्रह्मपुरा जयपुर पर राशि रुपये 11000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार गुप्ता)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी